

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र अडना

:- आदेश :-

प्र०सं० :- 86/2018प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी अडना व भू.अ.नि. छिंदोली

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जवाहरपुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 63 में अंशदान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>जवाहरपुरा</u>	<u>63</u>	<u>8.13.13.5</u>	<u>8.13.5</u>

क्रमांक/राजस्व/86/2018
पतिलिपि :-

401
(म.पकज शर्मा) (हजार)
सहायक कलेक्टर, एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़
दिनांक 14/05/18

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री SBI राशमी को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

401
(म.पकज शर्मा) (हजार)
सहायक कलेक्टर, एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़